भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3044
30 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाएं

3044. श्री पी. विल्सन:
क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की जाने वाली नई योजनाओं के संबंध में विवरण प्रस्तुत कर सकती है और क्या रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि हुई है;
(ख) क्या सरकार के पास वर्ष 2022-23 के लिए देश भर में विशेष रूप से तमिलनाडु में सहकारी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कृषि सहयोग के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के तहत निधियों के आवंटन संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) सहकारिता मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का डिजिटलीकरण, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण और "सहकार से समृद्धि" नामक छत्रक योजना जैसी नई योजनाएं तैयार करने के लिए कदम उठा रहा है।

इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसरों के सृजन और सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने में सुविधा मिलने की आशा है।

(ख) और (ग) कृषि सहकारी समिति पर केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) का अस्तित्व 2022-23 से समाप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर, नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं जैसा कि प्रश्न के बिंदु (क) के उत्तर में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय बजट के तहत, प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए इस योजना (सीएसआईएसएसी) के लिए 50 करोड़ रुपये की टोकन राशि निर्धारित की गई है ।

*****